सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 24/18 **निर्णय दिनांकः 30.08.2019**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. महावीर सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हाड़ला रावलोतान तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. जसवन्त सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हाड़ला रावलोतान तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. नरेन्द्र सिंह उर्फ नरपत सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हाड़ला रावलोतान तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
4. गजेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हाड़ला रावलोतान तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
5. गिरधारी सिंह पुत्र जीवराज सिंह जाति राजपूत निवासी हाडलां रावलोतान तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 16—11—2017
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः—

1. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक/अपीलांट्
2. श्री राजेन्द्र गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

—निर्णय—

1. अपीलांट/स्टेट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 16—11—2017 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट्स 1 का दावा तथ्यों/कानून व दस्तावोजों के विपरीत जाकर स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि वाके रोही कोलायत के गत् खसरा नम्बर 56/25 तादादी 28 बीघा 15 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 69/27 तादादी 25 बीघा 11 बिस्वाा एवं खसरा नम्बर 75/29 तादादी 07 बीघा 10 बिस्वा कुल 61 बीघा भूमि जो भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा नम्बर 115 तादादी 7.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 132 तादादी 6.47 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 70 तादादी 1.90 हेक्टर कुल तादादी 21.54 हेक्टर भूमि दिनांक 26–07–1961 एवं 27–07–1961 को रेस्पोडेन्ट्स के पिता नारायण सिंह पुत्र लाल सिंह को पॉच साला टीसी आवंटन की गई थी। उक्त रकबा पॉच साला आवंटन होने के कारण निर्धारित अवधि के पश्चात् वादग्रस्त भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर लिया गया तथा राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि आराजीराज दर्ज कर दी गई। तभी से उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज चली आ रही है तथा मौके पर उक्त भूमि खाली पड़ी है तथा वर्तमान में उक्त भूमि की किस्म बंजड़ है। ऐसीस्थिति में उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स के किसी प्रकार के कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने आगे कथन किया कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई तनकीयात् कायम नहीं की गई केवल मात्र उपनिवेशन नियमों व परिपत्रों का हवाला देते हुए बिना किसी विधिक अधिकार के वादग्रस्त भूमि का रेस्पोडेन्ट्स को खातेदार काश्तकार धोषित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे साबित हो कि वादग्रस्त भूमि चक परिवर्तन के उपरान्त खसरा नम्बर 115 तादादी 7.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 132 तादादी 6.47 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 70 तादादी 1.90 हेक्टर कुल तादादी 21.54 हेक्टर में पैमूद होना साबित करता हो। उक्त तथ्य मात्र दस्तावेजी साक्ष्य यथा चकप्लान/चक फिटिंग एवं मिलान क्षेत्रफल से ही साबित होनी थी। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे साबित होता हो कि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

वादग्रस्त भूमि पर वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई हक व अधिकार पैदा होता हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुराने व नये खसरा नम्बरान् की चक फीटिंग का विश्लेषण किये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसका कतई अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं था। अतः अपीलांट/स्टेट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्स के पिता नारायण सिंह पुत्र लाल सिंह को वादग्रस्त भूमि वाके रोही कोलायत के गत् खसरा नम्बर 56/25 तादादी 28 बीघा 15 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 69/27 तादादी 25 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 75/29 तादादी 07 बीघा 10 बिस्वा कुल 61 बीघा भूमि जो भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा नम्बर 115 तादादी 7.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 132 तादादी 6.47 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 70 तादादी 1.90 हेक्टर भूमि के रूप मेंफिट हुई। वादी/रेस्पोडेन्ट्स का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त आवंटन पश्चात् से कायम है। जिसके खातेदारी अधिकारों की धोषणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 188, 88 आरटीए एवं सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र के साथ रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण द्वारा तमाम राजस्व रिकार्ड भी प्रस्तुत किया गया था। इस संबंध में जमाबन्दी संवत् 2020–2023 प्रस्तुत की गई जिसमें वादग्रस्त भूमि के पॉच साला आवंटन का अंकन है। तभी से उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट्स को वादग्रस्त भूमि का आवंटन राजकीय कृषि भूमि के आवंटन नियमों के तहत किया गया था। ऐसी भूमि को राज्य सरकार ने राजस्थान भू–राजस्व(राजकीय कृषि भूमि आवंटन) नियम 1957 के नियम 14 (1) के परन्तुक व संशोधन अधिसूचना क्रमांक एफ–6/42/राजस्व ख/67 दिनांक 12–03–1968 तथा राजस्व क्रमांक 2497–2502 दिनांक 05–09–1968 तथा जिला कलेक्टर के पत्र क्रमांक /12–02/1/राजस्व/69 के तहत निर्धारित आवंटन नियमों में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे तीन

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

साला व पॉच साला आवंटन को अवधि दस वर्ष की जाती है तथा मौके पर आवंटी काबिज हो तो बेदखल नहीं किया जावे। मौके पर कब्जे काश्त के संबंध में रेस्पोडेन्ट्स के शपथ पत्र एवं पड़ौसियों के बयान तथा पटवारी हल्का व संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसमें स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि नारायण सिंह के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज है। इसप्रकार अपीलांट स्टेट द्वारा भी रेस्पोडेन्ट्स के आवंटन एवं कब्जे काश्त की पुष्टि अपने जवाब में की गई है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने दावे के समर्थन में तमाम राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी संवत् 2020 से 2027, मिसल बन्दोबस्त संवत् 2010 से 2012, मिलान क्षेत्रफल आदि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम राजस्व रिकार्ड के अवलोकन व स्टेट के जवाब के व खेत पड़ौसियों के बयान व रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों के अवलोकन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में की गई है। अतः स्टेट/अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र पर कथन किया गया कि स्टेट/अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—11—2017 के विरूद्व अपील दिनांक 03—04—2018 को पेश की गई है। जोकि स्पष्ट बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट/स्टेट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया हैं अतः अपीलांट/स्टेट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/स्टेट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—11—2017 के विरूद्व अपील दिनांक 03—04—2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन आदेश पारित करने के पश्चात् सरकारी प्रक्रिया के तहत प्रतिलिपि प्राप्त करने तथा विधिक राय लेने में हुई देरी स्वभाविक है। अतः विलम्ब का शमन किया जाकर अपील मियांद शुमार धोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हस्तगत् मामलें में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट/स्टेट स्वयं स्वीकार कर रहा है कि रेस्पोडेन्ट के पिता नारायणसिंह पुत्र लाल सिंह को दिनांक 26/27–07–1961 को 21.54 हेक्टर भूमि पॉच साल के लिये अस्थाई तौर पर आवंटित की गई थी, परन्तु पॉच वर्ष उपरान्त उक्त भूमि का कब्जा सरकार द्वारा ले लिया गया। अपीलांट का कथन है कि भोलासर ग्राम पंचायत पर आयोजित शिविर दिनांक 08–05–2016 में कब्जा रिपोर्ट प्राप्त करने पर मौके पर भूमि खाली पाई गई। उक्त भूमि सरकारी खाते में दर्ज होने के कारण अन्य को भी आवंटित कर दी गई।

परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में शामिल जमाबन्दी संवत् 2012–15 में ग्राम शीशा के खसरा नम्बर 24 व 25 की 338 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर नारायणसिंह काश्तकार दर्ज है। तत्पश्चात् संवत् 2016 से 2019 की जमाबन्दी में 89 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर नारायणसिंह काश्तकार दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2020 से 2027 में भी खसरा नम्बर 56/25, 69/27 व 75/29 की 61 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर नारायण सिंह काश्तकार दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त 2010–2012 में 89 बीघा 02 बिस्वा पर नारायणसिंह बतौर काश्तकार दर्ज है। इन वर्षो की खसरा गिरदावरी में भी नारायणसिंह काश्तकार दर्ज है। खसरा नम्बर 56/25 के नये खसरा नम्बर 115, खसरा नम्बर 69/27 के नये खसरा नम्बर 132 बने व खसरा नम्बर 75/28 से खसरा नम्बर 70 बने। जो भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल से प्रमाणित है। संवत् 2021 से 24 तक की खसरा गिरदावरी में खसरा नम्बर 56/25 व 69/27 के 54 बीघा रकबे पर नारायण सिंह को व उसके उत्तराधिकारी सम्पत कंवर तथा जीवराज सिंह को पॉच साला मंजूरी काश्तकार होने का उल्लेख किया गया है। तत्पश्चात् संवत् 2032 तक की गिरदावरी में उक्त भूमि पर नारायणसिंह को तकाबी काश्तकार बताया गया है।

अपीलांट/प्रतिवादी तहसीलदार कोलायत द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष दिनांक 18–04–2013 को प्रस्तुत जवाबदावे में दावे के समस्त 15 बिन्दुओं को स्वीकार किया गया है तथा कहीं पर भी असहमति नहीं दी गई है। अन्त में बिन्दु संख्या 15 में ''वादपत्र में चाही गई रिलिफ पाने का अधिकारी है'' लिखते हुए वादीगण के दावे की ताईद की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट ने विवादित भूमि सन् 1961 में नारायणसिंह को पॉच साला टीसी आवंटन होना रिकार्ड के आधार पर स्वीकार किया है, परन्तु उक्त आवंटन को राज्य सरकार के पत्र दिनांक 31–07–1968 की पालना में पॉच से दस साल करने तथा बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के टीसी आवंटी का नाम जमाबन्दी से हटाने के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। यदि पॉच या दस साल पूरा होने पर सन् 1971 में आवंटी का रकबा खारिज होता तो आगामी वर्षो में आवंटी को अतिक्रमी मानकर कार्यवाही की जाती, परन्तु सन् 1999 से पूर्व 28 साल तक राज्य सरकार द्वारा रेस्पोडेन्ट्स को अतिक्रमी नहीं माना गया। जमाबन्दी में रकबा राज दर्ज होने के कारण आवंटन अधिकारी द्वारा सन् 2000 में अन्य व्यक्तियों को किया गया आवंटन राजस्व मण्डल द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट्स के पिता नारायणसिंह काश्तकारी कानून लागू होने के एवं सवंत् 2012 से विवादित भूमि पर काश्तकार दर्ज रहे है। तत्पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा अस्थाई आवंटी के रूप में मान्यता दी गई है। अस्थाई आवंटन की अवधि पूरी होने पर किसी सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटन खारिज करने का आदेश नहीं दिया गया है तथा ना ही रेस्पोडेन्ट्स को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया गया हैं इस प्रकार रेस्पोडेन्ट्स के पिता नारायणसिंह ''बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ'' की तिथि से विवादित भूमि के काश्तकार होना साबित है। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में उक्त तथ्यों का विवेचन नहीं किया है, परन्तु इसके आधार पर गत् 60 वर्षो के रिकार्ड को नकारा नहीं जा सकता। अपीलांट्/स्टेट ने केवल फौरी तौर पर अपील पेश की है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट/स्टेट की अपील सारहीन पाये जाने पर खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16–11–2017 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर